न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

हुक्म की तामील में जारी हुए

गुण्डा एक्ट मु. नं. 1/2015 सरकार V/S गोकुल

5-5-18 आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर / अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 15-5-18 को पेश हो।

15-5-18 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गैर (सायल उपस्थित। जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 28-5-18 को पेश हो।

28-5-18 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता गैरसायल उपस्थित। जवाब एवं बहस हेतु कि अवसर और चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस दिनांक 13-6-18 को पेश हो।

13-6-18 लोक अभियोजक उपस्थित। गैर सायल उपस्थित। अधिवक्ता गैर सायल उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा गैर सायल के विरुद्ध थाना नांगल राजावतान जिला दौसा में एफ आई आर नं. 405/2000 व 457/2000 दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। जबकि माननीय न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा प्रकरण सं. 350/2002 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम चतुर्भुज शर्मा वगै. में पारित निर्णय दिनांक 5-3-2018 में अभियुक्त गोकुल पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालेडी तहसील दौसा को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा जो आरोप गैर सायल पर लगाये गये हैं वह निराधार है तथा ... क्रमशः

गोकुल

अति० जिला कलेक्टर
दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गुण्डा एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। गैरसायल के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में वर्तमान में दर्ज नहीं है। गैर सायल मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र किस धारा के अंतर्गत पेश किया गया है इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण ड्रोप फरमावें। जवाब बहस में लोकअभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि गैर सायल द्वारा गाँव के लोगों को डरा धमका कर परेशान किया जाता है तथा अवैध रूप से प्रार्थीगण की भूमियों पर कब्जा करने की शिकायत करते हुए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। गाँव में आमजन की जानमाल की सुरक्षा एवं सद्भावना का वातावरण व शांति बनाये रखने हेतु गैर सायल को दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि मा० न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा प्रकरण 6.350/2002 अनवानी राज० राज्य बनाम चतुर्भुज शर्मा वगै० में पारित निर्णय दिनांक 05-3-2018 में अभियुक्त गोकुल पुत्र सेढूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोलेडी तहसील दौसा को दोषमुक्त किया जा चुका है। अधिवक्ता गैरसायल द्वारा गैर सायल के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में वर्तमान में दर्ज नहीं होना व्यक्त किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैरसायल गोकुल पुत्र सेढूराम गुर्जर निवासी कोलेडी के विरुद्ध प्रार्थीगण चिरंजीलाल गुर्जर वगै० निवासी कोलेडी तह० दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्टलेख नक्शा दा.। निर्णय आज दिनांक 13-6-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official